राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक एफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / कोरोना / 2021 / Spl - 01 दिनांक 12/4/2021

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त, राजस्थान

विषयः–कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु नियमित जारी जागरूकता अभियान के अंतर्गत सम्मिलित गतिविधियों के विस्तार बाबत्।

संदर्भः–विभागीय पत्रांक 22112–22315 दिनांक 07.04.2021

जैसा कि विदित है कि बीते कुछ दिनों में अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में पुनः वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए हाल ही में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के क्रम में निदेशालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जागरूकता अभियान की गतिविधियों में विस्तार किया गया था। इसी क्रम में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जागरूकता हेतु नगरीय निकायों के लिए निम्न नवीन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता हैः–

- चिन्हित माइक्रो कन्टेन्मेंट एरिया में बेरिकेडिंग हेतु जिला प्रशासन को सहयोग करना।
- ग्रुप में भेजे गए विस्तृत विषयानुसार माईक द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु ई–रिक्शा / ऑटो रिक्शा / रिक्शा की संख्या में वृद्धि करना।
- ग्रुप में शेयर किये गये नमूने अनुसार जागरूकता अभियान की गतिविधियों के दौरान अभियान में सम्मिलित कोरोना वॉरियर्स द्वारा Badges एवं Cap का उपयोग सुनिश्चित करना।

कृपया उपरोक्त गतिविधियों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना रिपोर्ट ग्रुप में शेयर करना सुनिश्चित करें।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / कोरोना / 2021 / Spl - 02 - 06 दिनांकः 12/4/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक